



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बुधवार, 3 जुलाई, 1974

आषाढ़ 12, 1896 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1995/सत्रह-वि-1--57-74

लखनऊ, 3 जुलाई, 1974

अधिसूचना

विषय

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1974 पर दिनांक 1 जुलाई, 1974 ई० की अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, 1974 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनायें इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन)-अधिनियम, 1974

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, 1974)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 ई० का अपेक्षित संशोधन करने के लिए

अधिनियम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1948 ई०

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1948 ई० की धारा 3-ब का संशोधन

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

- (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा।
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 ई० (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3-ब की उपधारा (1) के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण-बढ़ा दिया जाय, और दिनांक 1 अक्टूबर, 1964 से बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात्:—

“स्पष्टीकरण—खण्ड (ख) के अधीन कर-योग्य विक्रय-धन अधिधारित करने के लिए, वह धनराशि जिससे एक रजिस्टर्ड व्यापारी द्वारा दूसरे रजिस्टर्ड व्यापारी से माल क्रय किया जाय, उसके कुल विक्रय-धन से केवल तब कम कर दी जायगी जब यह साबित कर दिया जाय कि प्रश्नगत क्रय प्रथम क्रय नहीं है।”

नयी धारा 3-ड का बढ़ाया जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 3-घ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

“3-ड—प्रत्येक व्यापारी जो अपने व्यापार के दौरान किसी रजिस्टर्ड व्यापारी से कोई कतिपय संघ- कर योग्य माल उन परिस्थितियों में खरीदता है जिनमें ऐसे माल के बजारों पर क्रय- विक्रय-मूल्य पर धारा 3 या धारा 3-क या धारा 3-कक के अधीन कोई कर लगाया कर देय न हो, या किसी रजिस्टर्ड व्यापारी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति से कोई कर-योग्य माल खरीदता है, और—

(क) ऐसे माल का उपयोग या तो विक्री के लिए अन्य माल का निर्माण करने में अथवा अन्य प्रकार से करता है, या

(ख) ऐसे माल का निस्तारण राज्य में विक्री से भिन्न किसी अन्य प्रकार से करता है, या

(ग) अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान विक्री या क्रय के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप के सिवाय उन्हें राज्य के बाहर किसी स्थान को भेजता है,

तो वह ऐसे माल के क्रय-मूल्य पर उसी दर से, जिस पर यदि उपर्युक्त परिस्थितियाँ विद्यमान न होतीं तो उपर्युक्त धाराओं के अधीन ऐसे माल के विक्रय मूल्य पर कर देय होता, कर का बहनदार होगा।”

धारा 3-घ का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 3-घ में, उसके द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड तथा स्पष्टीकरण में जहाँ कहीं भी शब्द “विक्रय घन” आया हो, उसके स्थान पर शब्द “विक्रय घन या क्रय घन अथवा दोनों” रख दिये जायँ और सर्वेध से रखे गये समझे जायँ।

धारा 4 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय और दिनांक 31 मार्च, 1956 से रखी गयी समझी जाय, अर्थात्:—

कर से छूट “4—इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित पर कोई कर नहीं लगेगा—

(क) पानी [खनिज जल, फोनिल पेय (एयरटेड वाटर), टानिक वाटर, डिस्टिल्ड वाटर] (सुगन्धित जल को छोड़ कर), दूध (कण्डेन्स मिल्क, मिल्क पाउडर या बेबी-मिल्क को छोड़कर)], नमक, समाचार-पत्र, मोटर स्प्रिट या अन्य किसी माल की विक्री पर जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा मुक्त करे, या

(ख) किसी ऐसे माल की विक्री या खरीद जो बाल इंडिया स्पिनर्स एसोसियेशन या गांधी आश्रम, मेरठ या उनकी शाखाओं द्वारा की गई हो या ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के वगैरे द्वारा की गई हो जिन्हें राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा मुक्त करे:

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन कोई छूट देते समय राज्य सरकार ऐसी शर्तें जिसके अन्तर्गत ऐसे शुल्क का, यदि कोई हो, जो प्रति वर्ग फीट हजार रुपये से अधिक न हो, जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट करे, भुगतान करने की शर्तें भी हैं, आरोपित कर सकती है।”

धारा 4-ख का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 4-ख में, उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

“(1) धारा 3, 3-क, 3-कक, 3-घ और 3-ड में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) यदि धारा 3-घ के अधीन कर-योग्य कोई माल किसी ऐसे व्यापारी द्वारा खरीदा जायँ जो उक्त धारा के अधीन, यथास्थिति, अपने क्रय या प्रथम क्रय के क्रय घन पर कर का बहनदार हो, और उस व्यापारी के पास उसके संबंध में उपधारा (2) के अधीन जारी किया गया मान्यता का प्रमाण-पत्र हो, तो वह ऐसे माल के संबंध में ऐसी रियायती दर पर कर का बहनदार होगा, अथवा पूर्णतः या अंशतः कर से मुक्त होगा, चाहे ऐसी रियायत या कर-मुक्ति बिना शर्त के हो या तदर्थ निर्दिष्ट की गई शर्तों या निबंधनों के अधीन हो, बस कि राज्य सरकार द्वारा गजट में तदर्थ विज्ञापित किया जायँ ;

(ख) यदि किसी अन्य धारा के अधीन कर-योग्य कोई माल किसी व्यापारी द्वारा किसी अन्य व्यापारी को बेचा जाय और ऐसा अन्य व्यापारी विक्रेता व्यापारी को नियत प्रपत्र में तथा रीति से इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे कि उसके पास उसके संबंध में उप धारा (2) के अधीन जारी किया गया मान्यता का प्रमाण-पत्र है, तो

विक्रेता व्यापारी ऐसे माल के संबंध में ऐसी रियायती दर पर कर का देनदार होगा, अथवा पूर्णतः या अंशतः कर से मुक्त होगा, चाहे ऐसी रियायत या कर-मुक्ति बिना शर्त के ही या तदर्थ निर्दिष्ट की गई शर्तों या निर्बंधनों के अधीन हो, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में तदर्थ विज्ञापित किया जाये।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, कर के संबंध में रियायत, या कर से मुक्ति, देने के लिए निर्दिष्ट की जा सकने वाली शर्तों और निर्बंधनों के अन्तर्गत यह भी अपेक्षा हो सकती है कि उपधारा (2) में अभिविष्ट विज्ञापित माल धारा 4-क में यथा-परिभाषित ऐसी "नई इकाई" में, जिसमें ऐसे दिनांक के पश्चात्, जो दिनांक इस उपधारा के अधीन विज्ञापित के दिनांक के पूर्व या पश्चात् हो सकता है; उत्पादन प्रारम्भ हो, और ऐसी अवधि के भीतर जो निर्दिष्ट की जाय, निमित्त हो।"

7—मूल अधिनियम की धारा 11 में,—

धारा 11 का संशोधन

(1) उपधारा (2) में, शब्द "नोटिस द्वारा" और शब्द "उक्त इंकार का नोटिस" के स्थान पर क्रमशः शब्द "लिखित आदेशों द्वारा" और शब्द "ऐसे आदेश, जिसमें मामले का विवरण देने से इन्कार किया गया हो, की प्रति" रख दिये जायें,

(2) उपधारा (4) में, शब्द "उक्त इंकार का नोटिस" के स्थान पर शब्द "ऐसे आदेश, जिसमें मामले का विवरण देने से इन्कार किया गया हो, की प्रति" रख दिये जायें; और

(3) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात् :—

"(4-क) यदि पुनरीक्षण अधिकारी या, जैसी भी बशा हो, अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी, उपधारा (1), उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन मामले का विवरण-पत्र तैयार करे और उसे हाई कोर्ट को समाधान के लिये भेजे तो ऐसा अधिकारी सम्बद्ध पक्षों को उस दिनांक से, जब हाई कोर्ट को मामला समाधान के लिए भेजे जाने के आदेश की प्रति तामील की जाय, तीन मास की अवधि के भीतर हाई कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निदेश देगा और हाई कोर्ट को भी पक्षों पर तामील किये जाने के दिनांकों की सूचना देगा।

(4-ख) उपधारा (4-क) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर हाई कोर्ट के समक्ष किसी पक्ष द्वारा उपस्थित न होने पर, हाई कोर्ट द्वारा ऐसे पक्ष की अनुपस्थिति में समाधान (reference) की सुनवाई की जा सकती है और उस पर निर्णय किया जा सकता है।"

8—मूल अधिनियम की धारा 21 में, उपधारा (2) में, उसके द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्पष्टीकरण में, शब्द "किसी दीवानी या अन्य सक्षम न्यायालय" के स्थान पर शब्द "किसी न्यायालय या अधिकारी" रख दिये जायें और सर्वद से रखे गये समझे जायें।

धारा 21 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में,—

प्रथम अनुसूची का संशोधन

(1) क्रम-संख्या 1 और 52 के सामने स्तम्भ 2 में प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जायें और सर्वद से रखी गई समझी जायें, अर्थात् :—

"1—मनुष्य अथवा पशु श्म द्वारा चालित उपकरणों और वाटर पम्प से भिन्न कृषि उपकरण, जिसके अन्तर्गत टायर और ट्यूब को छोड़ कर उनके भाग और सम्बद्ध सामान भी हैं।

52—मशीनें, जिसके अन्तर्गत वाटर पम्प भी हैं, और मशीनों के ऐसे अतिरिक्त भाग जो ऐसी मशीन या उनके अतिरिक्त भाग नहीं हैं जिन पर इस अनुसूची की किसी अन्य मद के अन्तर्गत कर लगता हो"; और

(2) क्रम-संख्या 118 के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

1

2

3

द्वितीय अनुसूची
का संशोधन

10—मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में, क्रम-संख्या 16 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम-संख्या 16-क और 16-ख तथा क्रम-संख्या 23 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम-संख्या 23-क बढ़ा दी जाये और सदेव से बढ़ायी गयी समझी जाये, अर्थात्—

क्रम-संख्या	विज्ञप्ति की संख्या	दिनांक
16-क	एस० टी०-2933/10-902 (21)-57	1 अगस्त, 1958
16-ख	एस० टी०-2934/10-902 (21)-57	1 अगस्त, 1958
23-क	एस० टी०-1367/10-990-1956	1 अप्रैल, 1960

नियम 44-क
का संशोधन

11—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर नियम, 1948 ई० के नियम 44-क में, खण्ड (घ), जैसा कि वह उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1974 के प्रवृत्त होने के पूर्व था, सदेव से निकाल दिया गया समझा जाय।

बंधीकरण

12—किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के साथ पठित धारा 3-कख की उपधारा (1), धारा 3-घ की उप-धारा (1), धारा 3-च, धारा 4 या धारा 21 के उपबन्धों के अधीन किया गया कोई कार्य (जिसके अन्तर्गत जारी की गई कोई विज्ञप्ति भी है) या की गई कोई कार्यवाही अथवा किये जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्य या की जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्यवाही उतनी ही विधिमान्य और प्रभावी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम द्वारा उक्त उपबन्धों में किये गये संशोधन सभी सारवान् समय पर प्रवृत्त थे।

निरसन तथा
अपवाद

13—(1) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, 1974 एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात अथवा किया गया कोई कार्य इस अधिनियम के अधीन की गई बात अथवा किया गया कार्य समझा जायगा, मानो यह अधिनियम सभी सारवान् समयों पर प्रवृत्त था।

No. 1995/XVII-V-1-57-74

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Bikri Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 1974 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 17 of 1974) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 1, 1974:

THE UTTAR PRADESH SALES TAX (AMENDMENT) ACT, 1974

(U. P. ACT No. 17 OF 1974)

[AS PASSED BY THE UTTAR PRADESH LEGISLATURE]

AN

ACT

to further amend the Uttar Pradesh Sales Tax Act, 1948

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and
commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sales Tax (Amendment) Act, 1974.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of
Section 3-D of
U. P. Act XV of
1948.

2. In section 3-D of the Uttar Pradesh Sales Tax Act, 1948 (hereinafter referred to as the principal Act), in sub-section (1), at the end, the following Explanation shall be inserted and be deemed to have been inserted with effect from the first day of October, 1964, namely:—

“Explanation—For determining the turnover liable to tax under clause (b), the amounts for which goods are purchased by one registered dealer from another registered dealer shall be deducted from his gross turnover only if the purchase in question is proved not to be the first purchase.”

उत्तर प्रदेश
असाधारण
गजट
संख्या 11
1974

U.P. Act
XV of 1974

3. After section 3-D of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

Insertion of new section 3-E.

“3-E. Except as provided in section 4-B, every dealer who in the course of his business purchases any taxable goods from a registered dealer in circumstances in which no tax under section 3 or section 3-A or section 3-AA is payable on the sale price of such goods, or purchases any taxable goods from a person other than a registered dealer, and

(a) either consumes such goods in the manufacture of other goods for sale or otherwise, or

(b) disposes of such goods in any manner other than by way of sale in the State, or

(c) despatches them to a place outside the State except as a direct result of sale or purchase in the course of inter-State trade or commerce,

shall be liable to pay tax on the purchase price of such goods at the same rate at which, but for the existence of the aforementioned circumstances, the tax would have been leviable on the sale price of such goods under the aforesaid sections.”

4. In section 3-F of the principal Act, in the second proviso and the Explanation thereto, for the word “turnover” wherever occurring, the words “turnover of sales or of purchases or of both” shall be substituted and be deemed always to have been substituted.

Amendment of section 3-F.

5. For section 4 of the principal Act, the following section shall be substituted, and be deemed to have been substituted with effect from the Thirty-first day of March, 1956, namely:—

Amendment of section 4.

“4. No tax under this Act shall be payable on—
Exemption from tax.

(a) the sale of water (other than mineral water, aerated water, tonic water, distilled water or scented water), milk (other than condensed milk, milk powder or baby milk), salt, newspapers, motor spirit or any other goods which the State Government may, by notification in the *Gazette*, exempt, or

(b) the sale or purchase of any goods by the All-India Spinners' Association or Gandhi Ashram, Meerut, and their branches, or by such other persons or class of persons as the State Government may, by notification in the *Gazette*, exempt :

Provided that while granting any exemption under clause (a) or clause (b), the State Government may impose such conditions including the condition of payment of such fees, if any, not exceeding eight thousand rupees annually, as may be specified by the State Government by notification in the *Gazette*.”

6. In section 4-B of the principal Act, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

Amendment of section 4-B.

“(1) Notwithstanding anything contained in sections 3, 3-A, 3-AA, 3-D and 3-E,—

(a) where any goods liable to tax under section 3-D are purchased by a dealer who is liable to tax on the turnover of his purchases or first purchases, as the case may be, under that section and the dealer holds a recognition certificate issued under sub-section (2) in respect thereof, he shall be liable in respect of those goods to tax at such concessional rate, or be wholly or partly exempt from tax, whether unconditionally or subject to the conditions and restrictions specified in that behalf, as may be notified in the *Gazette* by the State Government in that behalf ;

(b) where any goods liable to tax under any other section are sold by a dealer to another dealer and such other dealer furnishes to the selling dealer in the prescribed form and manner a certificate to the effect that he holds a recognition certificate issued under sub-section (2) in respect thereof, the selling dealer shall be liable in respect of those goods to tax at such concessional rate, or be wholly or partly exempt from tax, whether unconditionally or subject to the conditions and restrictions specified in that behalf, as may be notified in the *Gazette* by the State Government in that behalf.

Explanation—For the purposes of this sub-section, the conditions and restrictions that may be specified for the grant of concession in respect of, or exemption from tax, may include the requirement that the notified goods referred to in sub-section (2) shall be manufactured in a 'new unit' as defined in section 4-A, which goes into production after such date, whether before or after the date of the notification under this sub-section, and within such period as may be specified."

Amendment of section 11,

7. In section 11 of the principal Act,—

(1) in sub-section (2), for the words "by notice" and "notice of the refusal", the words "by order in writing" and "copy of the order refusing to state the case" shall respectively be *substituted*;

(2) in sub-section (4), for the words "notice of refusal", the words "copy of the order refusing to state the case" shall be *substituted*; and

(3) after sub-section (4), the following sub-sections shall be *inserted*, namely:—

"(4-A) Where the Revising Authority or the Additional Revising Authority, as the case may be, draws up a statement of case under sub-section (1), sub-section (3) or sub-section (4), and refers it to the High Court, such Authority shall direct the parties concerned to appear before the High Court within a period of three months from the date of service of the copy of the order referring the case to the High Court and shall also intimate the High Court of the respective dates of service on the parties.

(4-B) In default of appearance being entered by any party before the High Court within the period specified in sub-section (4-A), the reference may be heard and determined by the High Court in the absence of such party."

Amendment of section 21.

8. In section 21 of the principal Act, in sub-section (2), in the Explanation to the second proviso thereto, for the words "any civil or other competent court", the words "any court or authority" shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted*.

Amendment of the First Schedule.

9. In the First Schedule to the principal Act,—

(1) for the entries in Column II against serial numbers 1. and 52; the following entries shall respectively be *substituted* and be deemed always to have been *substituted*, namely:—

"1. Agricultural implements, other than implements worked by human or animal power and water pumps, but including their parts and accessories other than tyres and tubes;

52. Machinery and spare-parts of machinery, including water pumps, not being such machinery or spare-parts thereof as are taxable under any other item in this Schedule"; and

(2) after serial number 118, the following shall be *inserted*, namely:—

I	II	III
119.	Hearing Aids	M or I

10. In the Second Schedule to the principal Act, *after* serial number 16, the following serial numbers 16-A. and 16-B. and *after* serial number 23, the following serial number 23-A. shall be *inserted* and be deemed always to have been *inserted*, namely :—

Amendment of
the Second
Schedule.

Serial no.	Number of notification	Date
16-A	.. ST-2933/X—902(21)-57	August 1, 1958.
16-B	... ST-2934/X—902(21)-57	August 1, 1958.
23-A	.. ST-1367/X—990-1956	April 1, 1960.

11. In rule 44-A of the Uttar Pradesh Sales Tax Rules, 1948, clause (d), as existing before the U. P. Sales Tax (First Amendment) Rules, 1974 came into force, shall be deemed always to have been *omitted*.

Amendment of
rule 44-A.

12. Notwithstanding any judgment, decree or order of any court, anything done (including any notification issued) or action taken or anything purporting to be done or action purporting to be taken under the provisions of sub-section (1) of section 3-AB, read with the Second Schedule, sub-section (1) of section 3-D, section 3-F, section 4 or section 21 of the principal Act, shall be deemed to be as valid and effective as if the amendments made in the said provisions by this Act were in force at all material times.

Validation.

13. (1) The Uttar Pradesh Sales Tax (Amendment) Ordinance, 1974, is hereby repealed.

Repeal
and
saving.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act as if this Act were in force at all material times.

अज्ञा से,
केलाश नाथ गोयल,
सचिव ।